प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
"चयन भवन" ,मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011
फोन न.– +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,
E-mail: vyapam @mp.nic.in, website: www.vyapam.nic.in, www.peb.mp.gov.in

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर की भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2016

ijh{kk lapkyu ,oa Hkrh fu;e iqfLrdk

vkuykbu vkosnu&i=			
भरने की प्रारम्भ तिथि	: 23.06.2016	भरने की अंतिम तिथि	: 22.07.2016
संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	: 23.06.2016	संशोधन करने की अंतिम तिथि	: 27.07.2016
परीक्षा दिनांक व दिन		04-09-2016 jfookj	

ijh{kk 'kqYd		
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	दो प्रश्न पत्र के लिये	:- 700@&
	एक प्रश्न पत्र के लिये	:- 500@&
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियो के लिये)	दो प्रश्न पत्र के लिये	:- 350@&
	एक प्रश्न पत्र के लिये	:- 250@&
ऑनलाईन आवेदन – पत्र भरने वाले सभी अभ्यर्थियों को एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क :- 70@& अतिरिक्त देय होगा।		

vkuykbu ijh{kk i)fr le; lkj.kh

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
04.09.2016 रविवार	**तकनीकी पदो के लिये**			
	एक	प्रातः 07:30 बजे	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक (2:00 घंटे)
	तकनीकी/अतकनीकी दोनो के लिये			
	द्वितीय	अपरान्ह 12:30 बजे	01:50 से 02:00 बजे तक (10 मिनट)	सायं 02:00 से 05:00 बजे तक (3:00 घंटे)

fVIi.kh %&

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय के 30 मिनिट पश्चात तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यथियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
2. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं व्हाईटनर आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
3- vkuykbu vkosnu&i= Øekad dks }kjk gh fyf[kr ijh{kk gsrq vH;FkhZ viuk izos'k&i= izkIr dj ldrs gSaA vr% vkosnu&i= Øekad vkos';d :i ls lqjf{kr j[ksa ftlds lEcU/k esa vkxs fdlh izdkj dh dksbZ f'kdk;r ekU; ugha gksxhA
4- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है
5. मण्डल द्वारा आयाजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी ernkrk igpku i=] iSudkMZ vk/kkj dkMZ M~zkbZfoax ykblsal] vadlwph esa QksVksxzkQ] cSad ikl cqd esa QksVksxzkQ rFkk ikliksVZ esa ls dksbZ ,d vFkok vU; dksbZ p;fur dj ldrk gSA bls vk/kkj ekU; ugha gSA
6- मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
"चयन भवन" ,मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011
फोन न.– +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,
E-mail: vyapam @mp.nic.in, website: www.vyapam.nic.in, www.peb.mp.gov.in

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर की भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2016

fo"k;&lph

l- Ø-	v/;k;	fooj.k	i"B Ø-
1.	1	पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासनके अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2016 के लिए विभागीय नियम	3&16
2.	2	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा संचालन संबंध नियमावली	17&28
3.	3	परीक्षा का पाठ्यक्रम	29&30
4	4	प्रमाण–पत्रों के प्रारूप	31&34
5.	ik:i&1	प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन पत्रक	35
6.	ik:i&2	आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन पत्रक	36
7	ik:i&3	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी पत्रक	37
	ik:i&4	यात्रा देयक प्राप्ति के लिये स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक	38

e-i- d fo'k"k vkfne tutkfr lenk; cxk] lgkfj;k ,o Hkkfj;k vulfpr tutkfr d vH;fFk;k dk vkonu i= iLrr djus d fy; foHkkxk dh lph %&

स.क्र.	विभाग का नाम	अकार्यपालिक पदों का विवरण
lHkh in rrh; ,o dk;ikfyd J.kh d gku d dkj.k lph fujd		

अध्याय – 1

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर की भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2016 के लिए विभागीय नियम

1.1 सामान्य :–

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रं. पुमु/2–चयन/स–1/ 174/16, दिनांक 16.03.2016 के अनुसार मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में सूबेदार, उप निरीक्षक (जि.पु.ब.), उप निरीक्षक (वि.शा.), उप निरीक्षक(क्यू.डी.), उप निरीक्षक(रेडियो), उप निरीक्षक (अं.चि.),प्लाटून कमाण्डर एवं उप.नि. (आयुध) के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये इच्छुक पुरुष एवं महिला तथा प्लाटून कमांडर के रिक्त पदों पर केवल पुरूष उम्मीदवारो से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1.2 परिभाषायें :–

(अ) इन निर्देशों में श्रेणी से तात्पर्य चार श्रेणियों अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा।

(ब) ''समिति'' से अभिप्रेत है – राज्य शासन द्वारा गठित की गई चयन समिति।

(स) ''प्रथम चरण'' से अभिप्रेत है – मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा।

(द) ''द्वितीय चरण'' से अभिप्रेत है – पुलिस विभाग द्वारा आयोजित शारीरिक नापतौल, शारीरिक दक्षता परीक्षण के पश्चात् साक्षात्कार।

(ई) ''मण्डल'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल है।

(फ) म.प्र. से तात्पर्य मध्यप्रदेश है।

1.3 रिक्त पदों की तालिका :–

सक्र.	पदनाम	Unreserved					S T					S C					O B C					Total
		Total	Nil		ExSM	Police	Total	Nil		ExSM	Police	Total	Nil		ExSM	Police	Total	Nil		ExSM	Police	
			Open	Women	Open	Open		Open	Women	Open	Open		Open	Women	Open	Open		Open	Women	Open	Open	
1	सूबेदार	31	13	10	03	05	13	06	04	01	02	10	04	03	01	02	09	04	03	01	01	**63**
2	उप.नि.(जि.बल)	335	140	111	34	50	134	57	44	13	20	107	45	35	11	16	94	40	31	09	14	**670**
3	उप.नि.(विशा)	15	07	05	01	02	03	02	01	00	00	04	02	01	00	01	00	00	00	00	00	**22**
4	उप.नि.(कयू.डी.)	02	01	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	**02**
5	उप.नि.(रेडियो)	11	04	04	01	02	06	02	02	01	01	03	02	01	00	00	05	01	02	01	01	**25**
6	उप.नि.(अ.चि.)	03	02	01	00	00	01	01	00	00	00	01	01	00	00	00	00	00	00	00	00	**05**
7	प्लाटून कमाण्डर	27	20	00	03	04	11	08	00	01	02	08	06	00	01	01	07	05	00	01	01	**53**
8	उप नि.(आयुध)	11	04	04	01	02	05	01	02	01	01	04	02	01	00	01	03	02	01	00	00	**23**
	योग	435	191	136	43	65	173	77	53	17	26	137	62	41	13	21	118	52	37	12	17	**863**

नोट–(1) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की **अधिसूचना क्रमांक– सी–3–8–2015–एक–3 दिनांक 17 नवम्बर 2015 के द्वारा महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत** आरक्षण 'हारीजोन्टल एवं कम्पार्टमेन्ट वाईज' निर्धारित किया गया है। 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है, तथा म0प्र0शासन, गृह विभाग के राजपत्र क्र.एफ–2(अ) 96–2015–बी–4–दो दिनांक 05 मार्च 2016 द्वारा 15 प्रतिशत पद मध्यप्रदेश पुलिस कर्मियों के लिए आरक्षित है। ये तीनों ही हारीजोन्टल आरक्षण है। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिये आरक्षित पद कैरीफारवर्ड नहीं होंगें। ऐसी स्थिति में यह पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों से भरे जावेंगे। यदि चयन सूची में पहले से ही 33 प्रतिशत महिलायें, 15 प्रतिशत पुलिस कर्मी या 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक मैरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे तो पृथक से आरक्षण और नहीं दिया जायेगा।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि कुल पदों के 15 प्रतिशत पद पुलिस विभाग के उन कर्मचारियों के लिये आरक्षित रखें जाएंगे जिन्होंने कम से कम 6 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो तथा सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान उन्हें कोई भी बड़ी सजा नहीं मिली हो। इस हेतु आरक्षण के पात्र पुलिस कर्मियों को इकाई प्रमुख द्वारा जारी तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

भारत सरकार : कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के परिपत्र -No-36034/1/2014-Estt/Res दिनांक 14.08.14 में निहित प्रावधान अनुसार ऐसे भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जो पूर्व में भूतपूर्व सैनिकों को प्रदाय आरक्षण का लाभ प्राप्त कर चुके है उन्हें पुनः भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।

यहॉ स्पष्ट करना आवश्यक है कि सामाजिक वर्ग पर आधारित आरक्षण अर्थात अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण 'वर्टिकल' स्वरूप का है। जबकि महिलाओं, पुलिस कर्मियों तथा भूतपूर्व सैनिको के लिये आरक्षण ''हारीजोन्टल एवं कम्पाटमेंट वाईज'' स्वरुप का है । इन दो आरक्षणो में अन्तर मान्. उच्चतम न्यायालय द्वारा इन्द्रा साहनी विरूद्ध भारत संघ (**1992 SUPP (3) SCC-217**) में स्पष्ट किया गया है। हारीजोन्टल एवं कम्पाटमेंट वाईज आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया जो मान्.उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिल कुमार गुप्ता विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में निर्धारित की गई है { संदर्भ '' **1995 (2) SUPP, SCR - 396 1995(5) SCC- 173** } का अनुसरण किया जाता है ।

प्लाटून कमांडर के पदों को छोड़कर शेष संवर्ग में आरक्षण नियमों के अनुसार योग्य महिला उम्मीदवार न मिलने पर पद केरी फारवर्ड नहीं होगा बल्कि उसी जाति के योग्य पुरूष से भरा जायेगा।

(2) स.क्रं. 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6 के रिक्त पदों में महिलाओं के लिये 33 % हारीजोण्टल एवं कम्पार्टमेण्टवाइज आरक्षण शामिल है । प्लाटून कमाण्डर के पदों को छोड़कर शेष सभी पदों के लिये महिलायें भी रिक्त पदों के अनुरुप आवेदन कर सकती हैं।

(3) शासन द्वारा आरक्षण के संबंध में समय समय पर जारी आदेशों के तहत पद सुरक्षित होंगे। अंतिम चयन के समय में वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुये इस संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती हैं।

1.4 पदों का वेतनमान :–

समस्त पदों का वेतनमान : रू. 9300–34800/– एवं ग्रेड वेतन – 3600/–

म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–9/3/2003/नियम–4/ दिनांक 13.4.2005 एवं क्रं एफ–9/डी/2003 नियम–4 दिनांक 2.7.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की गई हैं।

1.5 परीक्षा केन्द्र :– परीक्षा केन्द्रों का विवरण अध्याय–2 में देखें।

1.6 निर्धारित आयु सीमा :–

अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1 जनवरी 2017 को 18 वर्ष से कम एवं 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

उच्चतर आयु सीमा में छूट :–

निम्न संवर्गो के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है :–

1.6.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट प्राप्त होगी अर्थात इस जाति वर्ग के अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1 जनवरी 2017 को 18 वर्ष से कम एवं 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

1.6.2 मध्य प्रदेश शासन के स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय सेवकों की अधिकतम आयु दिनांक 1 जनवरी 2017 को 36 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

1.6.3 मध्य प्रदेश शासन के स्थायी शासकीय सेवक, या मध्य प्रदेश शासन में अस्थायी पद धारण करने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष ही रहेगी। मध्यप्रदेश राज्य शासन के निगम/मण्डल के कर्मचारियों को भी आयु सीमा में छूट के प्रयोजन के लिये शासकीय सेवक माना गया है। यह छूट आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी/कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी ।

1.6.4 स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नगर सेना के नान–कमीशन्ड अधिकारियों के प्रकरण में अधिकतम 8 वर्ष की कालावधि एवं 36 वर्ष की आयु सीमा के अन्तर्गत उनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई सेवा की कालावधि तक शिथिल की जावेगी। अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थ्यता अथवा भगोड़े होने के कारण पृथक किये गये नगर सैनिकों को इस संवर्ग के अन्तर्गत नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, अतः आयु सीमा में छूट की पात्रता का प्रश्न ही नहीं उठता।

1.6.5 यहॉ स्पष्ट करना आवश्यक है कि **स्थानीय निकायों** जैसे जिला पचांयत, जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका आदि में कार्यरत संविदा शिक्षक, सहायक अध्यापक आदि जो स्थानीय निकाय के कर्मचारी है, उन्हें अधिकतम आयु–सीमा में छूट प्राप्त **नहीं** है। अधिकतम आयु–सीमा में छूट हेतु स्थानीय निकायों में कार्यरत ऐसे अनेक उम्मीदवारो की याचिकाऐं मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है :–

1. मान्.उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा खारिज की गई याचिकाएं :–

(i) रिट याचिका क 3629/08 द्वारा अरूण सिंह भदौरिया विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य, {संदर्भ 2009(2) एम.पी.एच.टी.–277 },

(i) 19301/11पंकज कुमार रैले विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(ii) 18940/11 अमित सिंह विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(iii) 18203/11 दुष्यंत यादव विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(iv) 18563/11 रंजनीश कुमार अग्निहोत्री विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(v) 18564/11 रंजनीश सिंह, विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(vi) 18763/11 दयाल सिंह लबामा विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(vii) 19634/11 प्रदीप कुमार राजपूत विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(viii) 21397/11 कैलाश चन्द्र अवधिया एवं अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(ix) 20139/11 मनोज राज सिंह विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(x) 20518/11 नीरज पाण्डेय एवं अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(xi) 21025/11 अनिल मिश्रा जिला एवं अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

2. मान्.उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा खारिज की गई याचिकाएं :–

(i) 7812 /2011 पुनीत चौहान एवं अन्य 10 विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(ii) 6645/ 2011 राजेश प्रताप सिंह बैस एवं अन्य50विरूद्ध म.प्र शासन एवं अन्य,
(iii) 8196/ 2011 पवन भदौरिया एवं अन्य 7 विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(iv) 8303/2011 निरंजन सिंह तोमर एवं अन्य 4 विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(v) 8327/2011 रविन्द्र सिंह बुंदेला एवं अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

3. मान्.उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा खारिज की गई याचिकाऐं :–

(i) 9178/11 कु.निर्मला शर्मा इंदौर विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,

(ii) 9352/11 रामेन्द्र सिंह परमान विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(iii) 9447/11 विजय कुमार रावज विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(iv) 9388/11 सुधीर मोहन अग्रवाल एवं अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(v) 9322/11 विजेन्द्र पाल सिंह एवं अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(vi) 9203/11 कनक सिंह चौहान विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(vii) 9730/11 अभिषेक सिंह चौहान विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(viii) 9366/11 शेलेन्द्र सिंह सिसोदिया विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(ix) 9024/11 राजेन्द्र भदौरिया विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(x) 9905/11 सुनील पटेल विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(xi) 10295/11 शबाना खान विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(xii) 10237/11 ज्ञान सिंह विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य,
(xiii) 10207/11 अशोक कुमार विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य।

1.6.6 केन्द्र शासन अथवा अन्य राज्यों के सेवारत अथवा भूतपूर्व शासकीय सेवकों को आयु में किसी ऐसी छूट की पात्रता नहीं है, जो इन नियमों में नहीं दी गई। **सी.आर.पी.एफ, बी.एस.एफ, आई.टी.बीपी. आदि केन्द्र शासन के अर्द्ध सैनिक या पुलिस बलों के सदस्यों को आयु में छूट की पात्रता नहीं है।** शासकीय सेवकोंको उक्त छूट की पात्रता प्राप्त करने एवं चयन से हुई नियुक्ति की पात्रता प्राप्त करने के लिये अपने वर्तमान नियुक्ति प्राधिकारी से लिखित पूर्वानुमति अवश्य ही प्राप्त करनी होगी और ऐसी लिखित अनुमति को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

1.6.7 छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी को उसकी आयु सीमा में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 07 वर्ष की कालावधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते की इसके परिणाम स्वरुप ऐसे अभ्यर्थी की आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं हो, अर्थात 31 वर्ष से अधिक न हो। छटनी किये गये सरकारी कर्मचारी' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं, जो मध्य प्रदेश शासन अथवा किन्ही भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में निरन्तर कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।
अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थता के आधार पर सेवामुक्त किये गये भूतपूर्व शासकीय कर्मियों को इस सेवा में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। अतः इन्हे आयु सीमा में छूट की पात्रता भी नहीं होगी।

1.6.8 उन अभ्यर्थियों को जो भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के अन्तर्गत आते हैं उसकी वर्तमान आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की पात्रता होगी, बशर्ते इसके परिणाम स्वरुप उनकी आयु अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, अर्थात 31 वर्ष से अधिक नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिक की पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों के संबंध में सैनिक की रक्षा सेवा में नियमानुसार पेंशन प्राप्त करता हो अथवा अशक्त होने पर चिकित्सा संगठन द्वारा अशक्त पेंशन प्राप्तकर्ता को ही भूतपूर्व सैनिक माना गया है। दुराचरण अथवा अक्षमता के आधार पर सेना से निष्कासित किये गये व्यक्तियों को भूत पूर्व सैनिको के लाभ प्राप्त नहीं होगें।

1.6.9 **भूतपूर्व सैनिक सवर्ग में भू–सेना, क्षेत्रीय सेना या केन्द्र शासन के पुलिस या अर्द्धसैनिक बलों के भूतपूर्व कर्मी शामिल नहीं होंगे।**

1.6.10 **विधवा, परित्यक्तता एवं तलाकशुदा महिला अभ्यार्थी :** अनारक्षित श्रेणी की विधवा, परित्यक्तता एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा दिनांक 1 जनवरी 2017 को 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की विधवा, परित्यक्तता एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा दिनांक 1 जनवरी 2017 को 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

1.6.11 **प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में मिलने वाली छूटें –**

1.6.11.1 परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारण करने वाले अभ्यार्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 2 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

1.6.11.2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतगर्त पुरूस्कृत किसी दम्पत्ति में से उच्च जाति के पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

1.6.11.3 ''विक्रम पुरस्कार'' प्राप्त अम्यार्थियों के मामले में भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

1.6.11.4 बिन्दु 1.6.11 .1 से 1.6.11.3 तक प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में मिलने वाली छूटों के अन्तर्गत यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में मिलने वाली सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले एक आधार के लिये छूट मिलेगी । बिन्दु 1.6.11.1 से 1.6.11.3 तक प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में मिलने वाली छूट, बिन्दु 1.6.1 से 1.6.9 तक मिलने वाली सामान्य छूटों के अतिरिक्त होगी ।

1.6.12 सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ–सी–3–11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि शासन द्वारा अधिकतम आयु सीमा में दी गई छूटें, गृह (पुलिस), वन, आबकारी तथा जेल विभाग के कार्यपालिक पदों पर लागू नहीं होगी। तदनुसार इस परीक्षा हेतु राज्य शासन के शासकीय सेवकों एवं मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को तथा नगर सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष रहेगी । अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए भी अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष रहेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि lokjr efgyk vkondk की अधिकतम आयु सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए के लिए 36 वर्ष ही रहेगी।

1.6.13 vf/kdre vk;q lhek esa mijksDr NwV esa /; inu'k ds esy fuoklh vH;fFkZ;ksa dks gh miyC/k gksxhA इस चयन परीक्षा के लिये मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा दिनांक 1 जनवरी 2017 को कालम में दर्शाई गई आयु सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिये :–

स.क्र.	आवेदक	श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा
1	पुरूष	अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी	28 वर्ष
2	पुरूष	आरक्षित श्रेणी (अनु.जाति/अनु.जजा / अपिवर्ग) का अभ्यर्थी	33 वर्ष
3	पुरूष	सभी श्रेणी के भासकीय/निगम/ मण्डल / स्वशासी संस्था के कर्मचारी / नगर सैनिक अभ्यर्थी	36 वर्ष
4.	महिला	अनारक्षित श्रेणी की अभ्यर्थी	28 वर्ष
5	महिला	आरक्षित श्रेणी (अनु.जाति/अनु.जजा/ अपिवर्ग) की अभ्यर्थी	33 वर्ष
6	महिला	सभी श्रेणी की शासकीय/निगम/ मण्डल /स्वशासी संस्था के कर्मचारी /नगर सैनिक अभ्यर्थी	36 वर्ष
7	महिला	अनारक्षित श्रेणी की विधवा/परित्यक्ता /तलाकशुदा अभ्यर्थी	33 वर्ष
8	महिला	आरक्षित श्रेणी (अनु.जाति/अनु.जजा/ अपिव) की विधवा/परित्यक्ता /तलाकशुदा	38 वर्ष
9	पुरूष/महिला	अनारक्षित श्रेणी एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड अभ्यर्थी	30 वर्ष
10	पुरूष/महिला	अनारक्षित वर्ग एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड अभ्यर्थी	35 वर्ष
11	पुरूष/ महिला	अनारक्षित श्रेणी एवं अर्न्तजातीय विवाह	33 वर्ष
	पुरूष/ महिला	अनारक्षित श्रेणी एवं विक्रम पुरुष्कार विजेता	33 वर्ष
12	पुरूष/ महिला	आरक्षित श्रेणी (अनु.जाति/अनु.जजा/ अपिवर्ग) एवं विक्रम पुरुष्कार विजेता	38 वर्ष

नोट– अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध उपरोक्त सभी प्रकार की छूटें मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही उपलब्ध होंगी bl gr| e/; in'k jkT; dk ey fuoklh iek.k i= vfuok;l gA अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को उपरोक्त छूटें अथवा आरक्षण प्राप्त नहीं होगा तथा अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में ही शामिल होने की पात्रता होगी।

1.6.14 किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी। उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता चाहने वाले उम्मीदवारों को तदाशय का निर्धारित प्रारुप में प्रमाण–पत्र सत्यापन के समय पेश करना होगा। जाति प्रमाण पत्र के नमूने इस नियम पुस्तिका के अध्याय–3 में दर्शाए गए हैं।

1.6.15 सन्तान के सम्बन्ध में :–

कोई उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक संतान हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु ऐसा अभ्यर्थी निर्रहित नही होगा यदि उसकी एक सन्तान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक सन्तानों का जन्म होता है ।

1.7 न्यूनतम शारीरिक अर्हता :–

अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हतायें अवश्य होनी चाहिए :–

1.7.1 उँचाई : पुरूष – 167.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक

महिला – 152.4 सेंटीमीटर या उससे अधिक

1.7.2 सीना : पुरूष – सीना बिना फुलाये 81 सेंटीमीटर/फुलाने पर 86 सेंटीमीटर (अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंमी का अन्तर होना आवश्यक हैं इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।)

1.7.3 अभ्यर्थी को शारीरिक रुप से अपंग नहीं होना चाहिये।

1.7.4 अभ्यर्थी में 'नॉक–नी' अथवा 'फ्लेट फुट' एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिये। अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टि से पूर्णतः योग्य (मेडिकली फिट) होना आवश्यक हैं।

नोटः– न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करें। निर्धारित नापजोख पूर्ण नहीं करने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी।

1.8 न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :–

क्र.	पदनाम	पद का प्रकार	शैक्षणिक अर्हताऐं
1	सूबेदार	अतकनीकी पद	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य
2	उप निरीक्षक (जिला पुलिस बल)	अतकनीकी पद	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य।
3	उप निरीक्षक (विशेष शाखा)	अतकनीकी पद	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य।
4	उप निरीक्षक (आयुध)	तकनीकी पद	मान्यता प्राप्त तकनीकी विश्वविद्यालय से मेकैनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा।
5	उप निरीक्षक (क्यू. डी.)	तकनीकी पद	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के विषय के साथ स्नातक या उसके समतुल्य उपाधि।
6	उप निरीक्षक (रेडियो)	तकनीकी पद	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था/विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक/ इलेक्ट्रिकल, टेली कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में 03 वर्ष का डिप्लोमा।
7	उप निरीक्षक (अंगुली चिन्ह)	तकनीकी पद	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के विषय के साथ स्नातक या उसके समकक्ष या उसके समतुल्य उपाधि।
8	प्लाटून कमांडर	अतकनीकी पद	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य

नोट– (1) उप निरीक्षक अंगुली चिन्ह, एवं क्यू.डी. के तकनीकी पद पदों हेतु शैक्षण्कि अर्हता गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक या समतुल्य उपाधि निर्धारित है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि समतुल्य उपाधि में वह इंजीनियरिंग स्नातक डिग्री जिसमें गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र तीनों विषय शामिल रहे हों, को ही मान्य किया जावेगा।

(2) भूतपूर्व सैनिको की शैक्षणिक योग्यता हेतु भारत सरकार – कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय : कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 12 फरवरी 1986 तथा म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी–3–3–86–3 एक दिनांक 24 फरवरी 1987 के द्वारा मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (क) में किये गये संशोधन अनुसार मेट्रिक उत्तीर्ण ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिसने 15 वर्ष की सेवा उपरांत (जिस पद के अन्तर्गत वह भूतपूर्व सैनिक भी आता है, जिसने भारतीय सेना शिक्षा विशेष प्रमााण पत्र या नौ सेना या वायु सेना के तत्स्थानी प्रमाण पत्र अभिप्राप्त कर लिया हो) मप्र पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1997 में स्नातक के समकक्ष मान्य किया गया है ।

1.8.1 शैक्षणिक योग्यता में छूट :–

शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जावेगी, किन्तु अपवादित मामले में समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के लिये पात्र समझती हो। समिति अपने विवेकानुसार ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा चयन में सम्मिलित कर सकेगी जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से उपाधियाँ प्राप्त की हों जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रुप से मान्यता प्राप्त न हो।

1.8.2 अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य हैं।

1.8.3 निर्धारित समस्त अर्हताएं/**प्रमाण पत्र** आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक उम्मीदवार के पास अवश्य होनी चाहिये, अर्थात यदि कोई उम्मीदवार इस वर्ष स्नातक की परीक्षा में बैठा है और उसके पास स्नातक परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह परीक्षा में बैठने के लिये पात्र नहीं है।

1.8.4 इस चयन परीक्षा हेतु उम्मीदवारो द्वारा व्यावसायिक परीक्षा मंडल को आवेदन पत्र एम.पी. ऑन–लाईन (M.P On-line) के माध्यम से भरे जाते है । किसी भी उम्मीदवार को एक आवेदन जमा करने की पात्रता है। यदि कोई उम्मीदवार एक आवेदन जमा करने के बाद केन्द्र के परिवर्तन आदि के लिये दूसरा आवेदन जमा करना चाहता है तो उसे अपना पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त करना होगा, उसके बाद ही नया आवेदन स्वीकार किया जावेगा ।

1.9 परीक्षा की योजना :–

म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसके साथ वांछित दस्तावेज संलग्न किए जाने होंगे। ऑनलाईन आवेदन–पत्रों की स्क्रुटनी संबंधी आवश्यक निर्देश अध्याय–2 में दिए गए हैं, जिसके अनुसार लिखित परीक्षा हेतु अंतरिम प्रवेश पत्र मंडल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होंगे।

सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमांडर की चयन परीक्षा को निम्न लिखित तीन चरणो में संपन्न कराया जावेगा :–

1– प्रथम चरण : लिखित परीक्षा

2– द्वितीय चरण : शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा

3– तृतीय चरण : साक्षात्कार

इस चयन परीक्षा हेतु उम्मीदवारो द्वारा व्यावसायिक परीक्षा मंडल को आवेदन पत्र एमपी ऑन लाईन (M.P On line) के माध्यम से भरे जाते है। आवेदन–पत्र भरते समय उम्मीदवारो के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण व्यापम अथवा अन्य किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है। अतः लिखित परीक्षा में

उम्मीदवारो का प्रवेश तथा लिखित परीक्षा का परिणाम प्रावधानिक (Provisional) होगा। लिखित परीक्षा में सफल होना किसी भी उम्मीदवार का अगले चरण हेतु कोई भी दावेदारी प्रदान नहीं करता है। लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिये बुलाये गये उम्मीदवारो का निम्नलिखित परीक्षण किया जावेगा :–

1– उम्मीदवार के समस्त मूल प्रमाण पत्रो का परीक्षण।

2– उम्मीदवार की उॅचाई एवं सीने का माप।

3– उम्मीदवार की नॉक–नी एवं फ्लैट फुट का परीक्षण।

उपरोक्त तीनो परीक्षणो में सफल होने पर उम्मीदवारों को शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा में भाग लेने की पात्रता प्राप्त होगी ।

यदि मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा आन लाइन आवेदन भरते समय कोई असत्य जानकारी प्रविष्ट की गई थी अथवा कोई तथ्यात्मक जानकारी छुपाई गई थी तो उसकी उम्मीदवारी उसी चरण पर समाप्त कर दी जावेगी तथा उसे किसी पद पर चयन की पात्रता नहीं रहेगी। यदि उम्मीदवार उपरोक्त किसी भी चरण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो अगले चरण में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी, भले ही वह लिखित परीक्षा में सफल रहा हो। यदि उम्मीदवार उपरोक्त तीनो परीक्षणो में योग्य पाया जाता है तथा शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा में सफल होता है, तभी उसे साक्षात्कार हेतु बुलाया जावेगा ।

1.9.1 प्रथम चरण – लिखित परीक्षा :–

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों में विषय, समय, अवधि एवं अधिकतम अंक हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में निम्नानुसार होंगे :–

क्रमांक	प्रश्न पत्र	पद प्रकार जिसके लिये प्रश्न–पत्र लागू होंगे	अवधि	अधिकतक अंक
1	विज्ञान (गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र)	तकनीकी	02 घंटे	100
2	हिन्दी, अंग्रेजी में दक्षता एवं सामान्य ज्ञान	तकनीकी/अतकनीकी दोनो के लिये	03 घंटे	200

नोट (क) अभ्यर्थियों के लिये सूबेदार/उप निरीक्षक/प्लाटून कमाडर एवं उप निरीक्षक (विशेष शाखा) के पद के लिये हिन्दी एवं अंग्रेजी में दक्षता तथा सामान्य ज्ञान की परीक्षा अनिवार्य है।

(ख) उप निरीक्षक (रेडियो) उप निरीक्षक (क्यू.डी./अंगुली चिन्ह/) एवं उप निरीक्षक (आयुध) के पदों के लिये हिन्दी/अंग्रेजी में दक्षता, सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान तीनों परीक्षायें अनिवार्य हैं।

(ग) आवेदक को लिखित परीक्षा के लिये मंडल द्वारा जारी प्रवेश–पत्र तथा काला बॉल प्वाइंट पेन अपने साथ लाना होगा।

(घ) परीक्षा में किसी प्रकार के केलकुलेटर, मोबाईल आदि के उपयोग की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(ङ) लिखित परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र के साथ साथ उनका फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसेः– आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, डाइविंग लाइसेस, आयकर विभाग का पेनकार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, शासकीय संस्था द्वारा जारी किया हुआ फोटोयुक्त पहचान पत्र में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। bl vk/kkj ekU; ugha gA

(च) नकल – लिखित परीक्षा में जो उम्मीदवार अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुये अथवा नकल सामग्री के साथ पकड़ा जावेगा उसे तीन वर्षों के लिये सूबेदार/उपनिरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर आदि प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जायेगा तथा अन्य उचित वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

1.9.2 लिखित परीक्षा की मेरिट सूची :–

प्रथम चरण की परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट अनुसार, विज्ञापित रिक्त पदों के जाति वर्ग अनुसार 5 गुना संख्या में अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षाओं – शारीरिक दक्षता परीक्षा व lk{kkRdkj के लिये बुलाया जायेगा। जाति वर्ग अनुसार 5 गुनी संख्या के अंतिम उम्मीदवार के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा का अवसर दिया जावेगा, भले ही कुल संख्या 5 गुना से अधिक हो जावे।

गैर तकनीकी पदों (सूबेदार, उपनिरीक्षक, उप निरीक्षक (विशेष शाखा) एवं प्लाटून कमाण्डर) तथा तकनीकी पदों (उप निरीक्षक – क्यू.डी. अं.चि., रेडियो, आयुध) के लिये पृथक पृथक सूची बनायी जायेगी। चूंकि योग्य उम्मीदवार दोनों ही प्रकार के पदों के लिये प्राथमिकता दे सकते हैं, अतः यदि कोई उम्मीदवार मेरिट के आधार पर गैर तकनीकी वर्ग की सूची में होते हुये भी तकनीकी वर्ग की सूची के लिये भी पात्र होता है तो तकनीकी वर्ग की सूची में ऐसे उम्मीदवार के नाम शामिल होंगे, किन्तु तकनीकी वर्ग की सूची हेतु 5 गुनी संख्या का आंकलन करते समय इनकी गणना नहीं की जावेगी।

लिखित परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों की सूची रोल नंबर क्रम में, मंडल द्वारा द्वितीय चरण की परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु पुलिस विभाग की चयन समिति को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसमें उम्मीदवारों के अंक नहीं दर्शाये जावेंगे ।

उम्मीदवारों को उनके लिखित परीक्षा के परिणाम की जानकारी मंडल की वेबसाईट से मिल सकेगी। मंडल की वेबसाईट पर उम्मीदवार की परिणाम पर्ची उपलब्ध होगी जिसे डाउनलोड किया जा सकेगा। परिणाम पर्ची में उम्मीदवारों के अंक नहीं दर्शाये जावेंगे। मंडल की वेबसाईट से डाउनलोड होने वाली परिणाम पर्ची के साथ ही उम्मीदवारों को उनके द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा/lk{kkRdkj के लिए केन्द्र एवं तिथि एवं उनसे सम्बधित जानकारियां ज्ञात हो सकेंगी। उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना पत्र नहीं भेजा जावेगा ।

इस चयन परीक्षा हेतु उम्मीदवारो द्वारा व्यावसायिक परीक्षा मंडल को आवेदन पत्र एम.पी. ऑन–लाईन (M.P On-line) के माध्यम से भरे जाते है। आवेदन– पत्र भरते समय उम्मीदवारो के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण व्यापम अथवा अन्य किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है,। साथ ही लिखित परीक्षा के पूर्व उम्मीदवारों का उंचाई तथा सीने की नाप जोख नहीं कराई जाती है ऐसी स्थिति में उंचाई तथा सीने की नाप हेतु निर्धारित अर्हताएं पूर्ण नहीं करने वाले उम्मीदवारों के सम्मिलित होने की संभावना रहेगी। अतः लिखित परीक्षा में उम्मीदवारो का प्रवेश तथा लिखित परीक्षा का परिणाम प्रावधिक (Provisional) है। लिखित परीक्षा में सफल होना किसी भी उम्मीदवार का अगले चरण हेतु कोई भी दावेदारी प्रदान नहीं करता है ।

यदि मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा आन लाइन आवेदन भरते समय कोई असत्य जानकारी प्रविष्ट की गई थी अथवा कोई तथ्यात्मक जानकारी छुपाई गई थी तो उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी तथा उसे किसी पद पर चयन की पात्रता नहीं रहेगी ।

1.9.3 द्वितीय चरण – शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट व साक्षात्कार :–

उम्मीदवारों को उनके लिखित परीक्षा के परिणाम की जानकारी मंडल की वेबसाईट से मिल सकेगी। मंडल की वेबसाईट पर उम्मीदवार की परिणाम पर्ची उपलब्ध होगी जिसे डाउनलोड किया जा सकेगा। परिणाम पर्ची में उम्मीदवारों के अंक नहीं दर्शाये जावेंगे। मंडल की वेबसाईट से डाउनलोड होने वाली परिणाम पर्ची के साथ ही उम्मीदवारों को उनके द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा/lk{kkRdkj के लिए केन्द्र एवं तिथि एवं उनसे सम्बधित जानकारियां ज्ञात हो सकेंगी। उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना पत्र नहीं भेजा जावेगा।

द्वितीय चरण के अंतर्गत शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट व lk{kkRdkj की कार्यवाही राज्य शासन से गठित चयन समिति द्वारा पुलिस मुख्यालय स्तर पर आयोजित करायी जावेगी।

1-9-4 iek.k i= ,o nLrkot ¼MkD;eUV½ eyr% iLrr djuk %&

आवेदक अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न करेंगे, द्वितीय चरण में पुलिस विभाग द्वारा किये जाने वाले प्रमााण प़त्रों एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय निम्नलिखित प्रमाण प़त्र एवं दस्तावेज (डाक्यूमेन्ट) मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :–

¼1½ जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इण्टरमीडियेट (10+2) की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हों।

¼2½ शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र (डिग्री या सर्टिफिकेट)।

¼3½ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलयर) के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारुप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिये। प्रमाण–पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस विज्ञापन के साथ भी प्रकाशित किये जा रहे हैं।

¼4½ भूतपूर्व सैनिकों के मामले में 'सेना' की सेवा का प्रमाण पत्र।

¼5½ पुलिस कर्मियों के प्रकरणों में इकाई प्रमुख द्वारा जारी 6 की सेवाकाल पूर्ण करने एवं सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान कोई बड़ी सजा न होने संबंधी प्रमाण पत्र।

¼6½ पूर्व से नियोजित उम्मीदवार के लिये नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

¼7½ परित्यक्ता महिला के लिये लागू उच्चतम आयु सीमा की छूट प्राप्त करने हेतु महिला उम्मीदवारों को परित्यक्ता होने के प्रमाण के रुप में राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे के स्तर का नहीं होगा, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि विवाह के बाद महिला उम्मीदवार को उसके पति ने विधिवत तलाक दिये बिना छोड़ दिया है तथा उक्त पति से महिला उम्मीदवार को कोई गुजारा भत्ता नहीं प्राप्त होता है।

¼8½ परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारकों को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये ग्रीन कार्ड।

¼9½ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतगर्त पुरूस्कृत किसी दम्पत्ति में से उच्च जाति के पति / पत्नी उम्मीदवार को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये पुरूस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

¼10½ "विक्रम पुरस्कार" प्राप्त उम्मीदवार को उच्चतर आयु सीमा में छूट "विक्रम पुरस्कार" हेतु पुरस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

¼11½ विवाहित उम्मीदवार को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र।

¼12½ vkjf{kr oxZ ds mEehnokjksa gsrq e/; izns'k dk ewy fuoklh izek.k i=A

UkksV –¼1½ सत्यापन के समय समस्त प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों को मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य है। समस्त प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की एक प्रमाणित प्रतिलिपि चयन समिति के समक्ष जमा करना होगा अतः द्वितीय चरण की परीक्षा में उम्मीदवार प्रमाणित प्रतिलिपियों का एक सैट अपने साथ ले कर उपस्थित होंगे। अध्याय–3 में वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता है तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा।

¼2½ यदि मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा ऑन लाइन आवेदन भरते समय कोई असत्य जानकारी प्रविष्ट की गई थी अथवा कोई तथ्यात्मक जानकारी छुपाई गई थी तो उसकी उम्मीदवारी उसी चरण पर समाप्त कर दी जावेगी तथा उसे अगले चरण में भाग लेने तथा किसी पद पर चयन की पात्रता नहीं रहेगी।

1.9.5 शारीरिक माप परीक्षण :–

शारीरिक माप मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में किसी भी विवाद की दशा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का विनिश्चय मान्य होगा। निर्धारित शारीरिक अर्हता पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वतः निरस्त हो जायेगी।

1.9.6 शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट :

पुलिस विभाग द्वारा लिये जाने वाले शारीरिक प्रावीण्यता परीक्षण तीन विधाओं अर्थात 800 मीटर दौड़, लंबी कूद तथा गोला फेंक में सम्पन्न किया जावेगा। उक्त तीनों विधाऐं क्वालीफाईंग स्वरुप की होगी, अर्थात इसके कोई अंक नहीं प्रदान किये जाएंगे। 800 मीटर दौड़ में क्वालीफाई करने हेतु निम्नानुसार समय सीमा निर्धारित हैं :–

(1) 800 मीटर दौड़

क्र.	उम्मीदवार	800 मीटर दौड़ क्वालीफाई करने हेतु निर्धारित अधिकतम समय
(1)	(2)	(3)
1	पुरूष	02 मिनिट 40 सैकेण्ड (एक अवसर)
2	महिला	03 मिनिट 30 सैकेण्ड (एक अवसर)
3	भूतपूर्व सैनिक	03 मिनिट 15 सैकेण्ड (एक अवसर)

(2) लंबी कूद

क्र.	उम्मीदवार	लंबी कूद क्वालीफाई करने हेतु निर्धारित न्यूनतम दूरी

(1)	(2)	(3)
1	पुरूष	13 फीट (तीन अवसर)
2	महिला	10 फीट (तीन अवसर)
3	भूतपूर्व सैनिक	10 फीट (तीन अवसर)

(3) गोला फेंक

क्र.	उम्मीदवार	गोंला फेंक क्वालीफाई करने हेतु निर्धारित न्यूनतम दूरी
(1)	(2)	(3)
1	पुरूष	19 फीट (गोले का वजन 7.260 कि.ग्रा.) (तीन अवसर)
2	महिला	15 फीट (गोले का वजन 4 कि0ग्रा0) (तीन अवसर)
3	भूतपूर्व सैनिक	15 फीट (गोले का वजन 7.260 कि0ग्रा0) (तीन अवसर)

यह उल्लेखनीय है कि उम्मीदवारों को उक्त तीनों विधाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा की किसी भी एक विधा में असफल रहने वाले अभ्यर्थियों को इसी स्तर पर अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जायेगा और उनका साक्षात्कार नहीं लिया जावेगा।

नोटः— शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकेगी। अभ्यर्थियों को उनकी शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा के लिये चयन समिति द्वारा जो तिथि सूचित की गई है, उस तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। उक्त शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा में तिथि परिवर्तन के लिये अभ्यर्थी का चिकित्सीय प्रमाण पत्र अथवा किसी प्रकार का अन्य कोई प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

1.9.7 साक्षात्कार :—

शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार, राज्य शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा लिया जायेगा, जिसका आयोजन पुलिस विभाग करेगा। साक्षात्कार हेतु अधिकतम 10 अंक होंगे।

1.9.8 बोनस अंक :—

किसी भी विधा में विशेष योग्यता के लिये कोई बोनस अंक प्रदान नहीं किये जावेंगे ।

1-10 ;k=k fdjk;k %&

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा/साक्षात्कार के लिये मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

1.11 चयन सूची :—

नोट :— द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा/साक्षात्कार की कार्यवाही राज्य शासन से गठिन चयन समिति द्वारा पुलिस मुख्यालय स्तर पर आयोजित कराई जावेगी, जिसमें सफल उम्मीदवारों के प्राप्तांकों सहित सूची व्यापम को उपलब्ध कराई जायेगी। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात भर्ती के लिये अन्तिम गुणागुण सूची (मेरिट लिस्ट) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक प्रावीण्यता परीक्षा में सफल होने तथा साक्षात्कार में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर तैयार कर मंडल द्वारा पुलिस विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके आधार पर चयन समिति उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची प्रकाशित करेगी। अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न पदों के लिये दिये गये अधिमान्य (प्रिफरेन्स) तथा मेरिट सूची में ज्येष्ठता (सीनियरटी) के आधार पर पद आवंटित किया जावेगा। कोई अधिमान्यता न दिये जाने या पूरे पदों के लिये अधिमान्यता न देने की स्थिति में चयन समिति कंडिका— 1.3 में दिये गये पदों के क्रम में चयन का प्रस्ताव देने अथवा कोई पद आवंटित न करने की सिफारिश करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यदि किसी उम्मीदवार के पास कोई ऐसी योग्यता हैं जो चयन समिति की राय में किसी पद विशेष के लिये अत्यंत उपयोगी हैं तो चयन समिति पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन पश्चात् ऐसे उम्मीदवार की ऐसे पद पर चयन की सिफारिश करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

1.12 पारस्परिक वरीयता :—

समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जावेगी। लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर आयु के आधार पर आपसी सहवरिष्ठता निर्धारित की जावेगी। यह आवश्यक नहीं है कि अन्तिम CUT- OFF मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

1.13 प्रतीक्षा सूची :—

किसी भी संवर्ग या पद के लिये कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बनाई जावेगी ।

1.14 नियुक्ति के पूर्व किये जाने वाले परीक्षण :–

1.14.1 चयन सूची में स्थान पाने वाले उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण मेडिकल बोर्ड से कराया जायेगा। नियुक्ति के लिये पात्रता हेतु उम्मीदवार का 'मेडिकली फिट' होना भी अनिवार्य है।

1.14.2 चयन सूची में स्थान पाने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व शासन आदेशानुसार प्रत्येक उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन कराया जावेगा। मध्य प्रदेश भाासन के अन्तर्गत शासकीय सेवा हेतु चयनित उम्मीदवारों के चरित्र सत्यापन हेतु मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा परिपत्र आदेश कमांक एफ 17-74/2002/C–1 दिनांक 05/06/2003 द्वारा दिशा निर्देश प्रसारित किये गये हैं। सामान्य प्रकरणों में इन दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है । 'पुलिस सेवा के लिये योग्य' चरित्र पाये जाने वाले उम्मीदवारों को ही नियुक्ति पर विचार किया जायेगा।

1.14.3 पुलिस विभाग में सेवा हेतु चयनित ऐसे उम्मीदवार जो पूर्व में अपराधिक प्रकरणों में संलिप्त रहे हैं, की नियुक्ति हेतु उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता का निर्णय मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा कमिश्नर आफ पुलिस विरुद्ध मेहर सिंह के प्रकरण में दिनांक 02/07/2013 को पारित निर्णय में प्रतिपादित किये गये न्याय दृष्टान्त का अनुसरण किया जाता है जिसके अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा नैतिक अधोपतन के आयाम वाले अपराधिक प्रकरण में उन्मोचित किये जाने पर भी अभ्यर्थी पुलिस सेवा के लिये अयोग्य रहेगे । इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग में सेवा हेतु चयनित ऐसे उम्मीदवार जो पूर्व में अपराधिक प्रकरणों में संलिप्त रहे हैं, की नियुक्ति हेतु उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता का विचारण मान. उच्च न्यायालय द्वारा निम्न लिखित प्रकरणों :–

(i) रिट याचिका कमांक 3875 /2013दिलीप कुमार समाधिया

(ii) रिट याचिका कमांक 3879/2013 अनिल रधुवंशी

(iii) रिट याचिका कमांक 5004/2013 बृज मोहन भदौरिया

(iv) रिट याचिका कमांक 5108/2013 दिलीप कुमार समाधिया

में दिनांक 07/10/2013 को पारित निर्णय के पालन में पुलिस मुख्यालय में गठित की गई "स्क्रीनिंग कमेटी" द्वारा किया जाता है। अतः ऐसे उम्मीदवार जो पूर्व में अपराधिक प्रकरणों में संलिप्त रहे हैं, विचारण न्यायालय द्वारा नैतिक अधोपतन के आयाम वाले अपराधिक प्रकरण में उन्मोचित किये जाने पर भी "स्क्रीनिंग कमेटी" द्वारा पुलिस सेवा के लिये अयोग्य ठहराये जा सकेगे। ऐसे उम्मीदवार जो पूर्व में अपराधिक प्रकरणों में संलिप्त रहे हैं, उनका विचारण न्यायालय से अपराधिक प्रकरण में उन्मोचित किये जाने पर भी पुलिस विभाग में नियुक्ति हेतु कोई दावेदारी नहीं बनती है ।

1.14.4 यदि कोई उम्मीदवार चरित्र सत्यापन फार्म में कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाता है अथवा कोई गलत जानकारी देता है तो वह नियुक्ति के अयोग्य ठहराया जावेगा और उसे नियुक्ति नही दी जावेगी तथा यदि यह तथ्य सेवा में नियुक्ति के बाद उजागर होता है तो उसे बिना कोई अन्य नोटिस दिये सेवा से पृथक कर दिया जावेगा। चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में नियुक्ति के अयोग्य घोषित किये जाने पर नियुक्ति की पात्रता नही होगी और ऐसे चयनित व्यक्तियों का नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा।

1.15 नियुक्ति :

(1) उम्मीदवारो को आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण के प्रावधानों, शारीरिक नापजोख, लिखित परीक्षा, शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा, साक्षात्कार, चरित्र सत्यापन तथा चिकित्सकीय परीक्षण, सभी में पूर्णतः योग्य पाये जाने पर ही नियुक्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

(2) नियुक्ति के उपरान्त प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा एवं निर्धारित प्रशिक्षण पर भेजा जावेगा।

(3) नियुक्ति के लिये चुने गये उम्मीदवारों को प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित होने के लिये प्रयोजनार्थ की जाने वाली यात्रा का किराया तथा भत्ता नहीं दिया जायेगा। प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित होने पर प्रशिक्षण में प्रवेश के पूर्व उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा जिसमें उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ होना आवश्यक होगा। केवल योग्य पाये उम्मीदवारों को ही नियुक्ति दी जावेगी, अयोग्य उम्मीदवारों को वापस भेज दिया जावेगा।

(4) जिस पद के लिये चयन किया जायेगा केवल उसी पद पर नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकेगा और उसी संवर्ग में आगे पदोन्नति/पदस्थापना की जावेगी।

(5) निर्धारित प्रशिक्षण से स्थायी या अस्थायी छूट का कोई प्रावधान नहीं है। प्रशिक्षण पर निर्धारित समय में उपस्थित न होने वाले चयनित उम्मीदवारों का नाम चयन सूची से हटा दिया जायेगा/नियुक्ति प्रस्ताव वापस ले लिया जावेगा। इस संबंध में मेडिकल प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

(6) इस चयन परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये अधिकारियों की आपसी सहवरिष्ठता चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर निर्धारित की जावेगी।

(7) इस परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये अधिकारियों की नियुक्ति के उपरान्त उनकी स्थापना से सम्बन्धित प्रकरण जैसे पारस्परिक वरीयता, स्थायीकरण, वेतन वृद्धियां आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के प्राावधानों तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर बनाये गये विभिन्न नियमों के अनुसार निर्धारित की जावेंगी ।

(8) चयनित उम्मीदवार को पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं व मध्यप्रदेश शासन के सभी विभागों के अन्तर्गत राज्य के अन्दर व राज्य के बाहर पदस्थ किया जा सकेगा। राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न विभागों जैसे राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ई.ओ.डब्ल्यू), लोकायुक्त, फायर ब्रिगेड व ऐसी अन्य संस्थाओं में की जाने वाली पदस्थापना में उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है।

1.16 प्रशिक्षण :–

नियुक्ति उपरान्त निर्धारित अवधि में निर्धारित मानक स्तर से प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण सत्र प्रारम्भ होने की सूचना चयनित उम्मीदवारों को पृथक से भेजी जावेगी। चयनित अभ्यर्थियों को विहित की गई अंतिम तारीख को या उसके पूर्व निर्धारित किये गये प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होना होगा। यदि अभ्यर्थी, नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना निश्चित समयावधि में उपस्थित होने में असमर्थ रहता है, तो उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न शारीरिक तथा बौद्धिक प्रशिक्षण, अस्त्र–शस्त्र संचालन आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसमें किसी वजह से कोई क्षति होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। प्रशिक्षण में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रशिक्षण सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के लिये एक अवसर प्रदान किया जावेगा। अभ्यर्थी जब तक सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं कर लेता तब तक उसे प्रशिक्षण संस्था में ही रखा जायेगा। उक्त दोनों अवसरों में प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं करने पर उसे एक माह का नोटिस देकर सेवा से मुक्त (बर्खास्त) कर दिया जायेगा।

1-17 lkekU; funs'k %& यहां पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवारो को आयु , शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण के प्रावधानों, शारीरिक नापजोख, लिखित परीक्षा, शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा, साक्षात्कार, चरित्र सत्यापन तथा चिकित्सकीय परीक्षण, सभी में पूर्णतः योग्य पाये जाने पर ही नियुक्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

अति. पुलिस महानिदेशक (चयन/भर्ती)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

अध्याय – 2

ikQs'kuy ,Xtkfeus'ku cksMZ Hkksiky] ijh{kk lapkyu fu;e ,oa funs'k

[k.M&v

2-1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। vH;Fkh ’k{kf.kd vgrkvk dk HkyhHkkfr v/;;u mijkUr gh vkonu i= HkjA

(ii) अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक विभाग/कार्यालय के लिए अपना विकल्प/अधिमान पदवार चिंहित कर सकेगा। आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

(iii) vkond dk fofHkUu foHkkxk d ink gr ,d gh vkonu i= iLrr djuk vfuok;l gA ink dh l[;k e vko';drkulkj deh ;k of) dh tk ldrh gA

2-2 (i) <u>आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य रूप से होने चाहीये</u> ।

(ii) आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा ।

(iv) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।

(v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

2-3 ijh{kk gky e y tku gr vko';d lkexh %&

(i) मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश–पत्र।

(ii) काला बॉलप्वाइंट पेन।

(ii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र – मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अंकसूची मय फोटोग्राफ, बैंक पासबुक मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य।

(iv) यदि आवेदक द्वारा उपरोक्त के अलावा अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का चयन किया जाता है तो वह कौन सा दस्तावेज है इसकी जानकारी अतिरिक्त सह–आई.डी. के रूप में प्रदान करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

2-4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

2-5 io'k&i= ikIr dju dh ifØ;k %&

ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश–पत्र मण्डल की वेबसाईट **www.vyapam.nic.in** से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

ukV& प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन–पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2-6 ijh{kk io'k&i= **(Test Admit Card) :-**

(i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन–पत्रों के प्रवेश–पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट **www.vyapam.nic.in** पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे।

(ii) मण्डल की वेबसाईट पर जारी किया गया टेस्ट एडमिट कार्ड दो–भागों में जारी किया जायेगा जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।

(iii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

(iv) आवेदक यदि आवेदन पत्र में उल्लेखित अनुसार फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ उपस्थित नहीं होता है तो उसे मण्डल के टेस्ट एडमिट कार्ड के द्वितीय भाग में पूर्व में प्रेषित ऑनलाईन आवेदन पत्र वाला फोटो लगाकर उसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के पात्रता नही होगी तथा इस प्रकार के अभ्यर्थियों को 'रासा'' में अनुपस्थित अंकित किया जायेगा।

(v) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि अंकित करना होगी। प्रवेश–पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2.7 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero)अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2-8 =fVi.k i'u] mldk fujLrhdj.k ,o cny e fn;k x;k vd %&

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :–

(i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।

(ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।

(iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।

(iv) कोई भी विकल्प सही न हो।

(v) यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।

(vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।

(vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।

(viii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

<u>mnkgj.k 01</u> :– यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 100}{(100-2)} = 91.83 \quad \text{rounded off to } 92.00$$

<u>mnkgj.k 02</u> :– यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{140 \times 150}{(150-2)} = 141.89 \quad \text{rounded off to } 142.00$$

mnkgj.k 03 :– यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{190 \times 200}{(200-2)} = 191.91 \quad \text{rounded off to } 1\,92.00$$

ukV %& lHkh x.kuk dk n'keyo dk nks vadks rd jkmaMvkQ fd;k tk;sxkA

2.9 प्रश्नपुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :–

(i) प्रश्न–पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

(ii) बिन्दु क्रमांक 2.8 अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न–पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ–साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम ''की'' (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी ।

(iii) आदर्श उत्तरों के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

2.10 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–

निम्नलिखित में से किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियाकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की संलिप्तता होने पर अथवा दोषी पाये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनुचित साधन ¼Unfair means)/यू. एफ.एम. (UFM½ ½ के अंतर्गत मान्य करते हुये समाप्त कर दी जायेगी ।

(i) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।

(ii) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

(iii) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

(iv) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।

(v) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।

(vi) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला–बदली करना।

(vii) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।

(viii) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

(ix) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

(x) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।

(xi) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुॅचाना।

(xii) पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित

साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा।

(xiii) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा ।

(xiv) विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

(xv) परीक्षार्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स में व्हाईटनर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। मण्डल कार्यालय को व्हाईटनर लगी ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स प्राप्त हाने से इन्हे स्केनर द्वारा स्वीकार नही किया जाता है जिससे तकनीकी रूप से स्केनरर्स में परेशानी होती है तथा इस प्रकार की कार्यवाही परीक्षा नियमों के भी विपरीत है। अतः व्हाईटनर के प्रयोग वाली ओ0एम0आर0 उत्तर शीटो के ऐसे प्रकरणों को यू0एफ0एम0 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।

(xvi) परीक्षार्थियों के विरूद्व परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जानें अथवा परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण में संलिप्ता पाये जाने पर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए संबंधित परीक्षार्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।

(xvii) आवेदक द्वारा ओ.एम.आर. उत्तर शीट में पेसिंल से उत्तर अंकित किये जाने पर यू.एफ.एम. प्रकरण मान्य करते हुये संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी ।

(xviii) उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो ।

2-11 ijh{kk ifj.kke dk izdk'ku %&

(i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ–साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

(ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

(iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in, www.peb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

2-12 ijh{kk ifj.kke %&

(i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in, www.peb.mp.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।

(ii) तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2-13 izksQ'kuy ,Xtkfeus'ku cksMZ Hkksiky dk dk;Z iwoZ'k@Hkjrh@ik=rk ijh{kkvksa dk lapkyu ,oa mldk ifj.kke ?kksf"kr djuk ek= gksxk %&

(i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा।

(ii) मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

(iii)अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

2-14 U;kf;d {k=kf/kdkj %& परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

[k.M&c

2-15 vkWuykbu vkosnu&i= ds lkFk layXu fd;s tkus okys nLrkostksa dk fooj.k %&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।

(ii) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र ik:i&07 अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी, दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ़डा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(v) अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये इसकी अनिवार्यता नही होगी तथा अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह विकल्प आवेदन पत्र में प्रदर्शित नही किया जायेगा।

2-16 vkWuykbu vkosnu i= ds lkFk QksVks ,oa gLrk{kj layXu djus lca/kh funs'k%&

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र ik:i&07 अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।

(ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।

(v) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(vi) फोटोग्राफ vkosnu Hkjus dh frfFk से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा QksVksxzkQ ij f[kapokus dh fnukad o vkosnd ds uke dk Li"V mYys[k gksuk pkfg;sA

(vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(x) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

2-17 ,e-ih- vkWuykbu fd;kLd ds ek/;e ls vkosnu QkeZ Hkjus dh fof/k %&

(i) एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा।

(ii) कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन–पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार कियोस्कधारक ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जावेगा।

(iii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।

(iv) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही–सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।

(v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन–पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2-18 vkWuykbZu vkosnu Hkjus ds lEcU/k esa funsZ'k %

(i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण मीनू के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ii) igpku i= ds ehuw esa ernkrk igpku i=] isudkMZ] vk/kkj dkMZ] Mªk;foax yk;lsal] vadlwph e; QksVksxzkQ] cSad iklcqd e; QksVksxzkQ rFkk ikliksVZ dk izko/kku j[kk x;k gSA

(iii) यदि आवेदक द्वारा अन्य पहचान पत्र का चयन किया जाता है rks og nLrkost dkSu lk gS blds tkudkjh vfrfjDr lg&vkbZMh ds :i esa iznku djuh gksxhA

(iv) vkosnd dks vkosnu i= esa 'kjhj ds LFkk;h fpUg rFkk ijh{kk ds le; iLrqr fd;s tkus okys QksVks igpku i= dk fooj.k rFkk Øekad vfuok;Z :i ls vafdr fd;k tkuk gksxkA buds vHkko esa vkosnu i= Lohdkj ugha gksxkA

(v) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(vi) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णाक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।

(vii) आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक पृथक से भी अंकित किये जाने का प्रावधान रखा जावेगा ।

2-18 vkWuykbZu vkosnu&i= Hkjus dh 0;oLFkk %&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र एम.पी.आनलाईन की osclkbZV www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।

(ii) इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेविट (कोई भीवीजा/मास्टर/मास्टरो काई)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है।

(iii) सीधी भर्ती–बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियो द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नही होगा।

(iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन–पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन–पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश–पत्र प्राप्त किया जा सके।

2-19 vkWuykbZu vkosnu&i= Hkjus gsrq nks fodYi gSa %&

¼v½ baVjusV dSQs }kjk ¼D;ksLd½ ¼c½ Lo;a ds dEI;wVj }kjk

(i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत

Application क्लिक कर

Vyapam लिंक में
परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी funsZ'k@**Instructions** तथा परीक्षा fu;e@**Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

(ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही–सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन–पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु स्पदा के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

(v) ऑनलाईन आवेदन–पत्र को Submit करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन–पत्र को जमा करें।

(vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन–पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :–

¼v½ ØsfMV@MsfcV dkMZ ¼c½ bUVjusV cSafdax

2-20 ØsfMV@MsfcV dkMZ ds ek/;e ls iksVZy 'kqYd dk Hkqxrku%&

(i) आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

(ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2-21 bUVjusV cSafdax ds ek/;e ls iksVZy 'kqYd dk Hkqxrku %&

(i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।

(ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2-22 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन–पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन–पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

2-23 fu/kkfjr frfFk e tek fd, x, vkuykbu vkonu i= e l'kk/ku dh 0;oLFkk

(i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगीः–

(ii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

(iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन–पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

(iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।

(v) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।

(vi) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

(vii) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।

(viii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(ix) ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन–पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

(x) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये मण्डल द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2-24 ,d l vf/kd vkuykbu vkonu&i= Hkju lc/kh fun'k %&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन–पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा ''हॉ'' विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन–पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन–पत्र ही मान्य होगा।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प ''हॉ'' का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई–मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन–पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।

(iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन–पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

2-25 vkWuykbu vkosnu&i= dk fujLrhdj.k %&

(i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(iii) इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2-26 ऑनलाईन आवेदन–पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2-27 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

2-28 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3–17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि बोर्ड के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे।

2-29 i|u%x.kuk@i|ueY;kdu

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये मण्डल द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

[k.M&l

2-30 vkosnu i= Hkjus dh le;kof/k

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
23.06.2016	22.07.2016	30	23.06.2016	27.07.2016	35

2-31 vkuykbu ijh{kk dk fooj.k

स. क्रं.	परीक्षा प्रश्नपत्र	दिनांक	दिन	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	विज्ञान (गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र)	04.09.2016	रविवार	02 घंटे	प्रातः 09:00 से 11:00 तक	100
2.	हिन्दी, अंग्रेजी में दक्षता एवं सामान्य ज्ञान	04.09.2016	रविवार	03 घंटे	सायं 02:00 से 05:00 तक	200

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को काला करना होगा।

2-32 (i) ijh{kk 'kqYd %&

स. क.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क	सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये
01-	nks	700/–	350/–	70@&	fujad
02-	,d	500/–	250/–	70@&	fujad

(ii) la'kks/ku fd;s tkus ij ns; 'kqYd

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01-	,d	100/–	50/–

2-33 ijh{kk 'kgj %&

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी । मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा आनलाईन पद्धति से आयोजित है अतः परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रो की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है ।

vkuykbu ijh{kk dsUnz		
1. भोपाल	2. ग्वालियर	3. रायसेन
4. इन्दौर	5. जबलपुर	6. उज्जैन
7. रतलाम	8. मंदसौर	9. मुरैना
10 खण्डवा	11. खरगौन	12. सतना
13. सीधी	14. रीवा	15. सागर
16. बालाघाट	17. छतरपुर	18. छिन्दवाड़ा

[k.M&n

vkuykbu ijh{kk i.kkyh d lc/k e fun'k

2-34

(i) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 1:30 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।

(ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त किया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।

(iv) बोर्ड की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।

(v) बोर्ड कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

(vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।

(vii) बोर्ड की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।

(viii)अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षाा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।

(x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में प्रश्न पत्रों के स्तर का Normalisation करने का प्रावधान मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा ।

(xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित /संशोधित किया जा सकता है ।

(xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा ।

(xiii)ई–आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट मूल आई डी के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा । अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी ।

(xii) परीक्षा में निर्धारित रिपोटिंग समय के 30 मिनिट पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

अध्याय – 3 .
लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम .

3.1 प्रश्न–पत्र – 1 **(अधिकतम अंक–100) :–**

केवल तकनीकी पदों हेतु

उप निरीक्षक तकनीकि संवर्ग भर्ती वर्ष 2013 की लिखित परीक्षा हेतु रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र एवं गणित का पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्नातक स्तर हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार रहेगा।

अंको का विभाजन निम्नानुसार रहेगा :–

1– रसायन शास्त्र – 33
2– भौतिक शास्त्र – 33
3– गणित – 34
योगः– 100

3.2 प्रश्न–पत्र – 2 **(अधिकतम अंक–100) :–**

तकनीकी एवं अतकनीकी पदों हेतु

English (10+2 Level) **Marks: 30**

Functional Grammar

1- Tenses
2- Modals
3- Determiners
4- Articles
5- Voices
6- Narration
7- Prepositions
8- Clauses

An unseen passage with a variety of questions including marks for vocabulary such as word formation and inferring meaning.

The passages could be any of the following two types:-

(a) Factual passages- e.g. instructions, descriptions, reports.
(b) Discursive passages- involving opinion e.g. argumentative, persuasive.

पाठ्यक्रम हिन्दी (10+2 स्तर)

भाषा बोध– **70 अंक**

शब्द निर्माण– (उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास) पर आधारित प्रश्न

समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द पर आधारित प्रश्न

अनेकार्थी शब्द पर आधारित प्रश्न

विलोम शब्द पर आधारित प्रश्न

पयार्यवाची शब्द पर आधारित प्रश्न

वाक्यांश के लिए एक शब्द पर आधारित प्रश्न

भाव पल्लवन/भाव विस्तार पर आधारित प्रश्न

वाक्य – अशुद्धि संशोधन पर आधारित प्रश्न

वाक्य परिवर्तन पर आधारित प्रश्न

मुहावरे/लोकोक्तियॉ पर आधारित प्रश्न

समास विग्रह तथा समास के भेद पर प्रश्न

संक्षिप्तिकरण पर प्रश्न

भिन्नार्थक समोच्चरित शब्द पर प्रश्न

पारिभाषिक, तकनीकी शब्दों के प्रयोग पर प्रश्न

वाक्य भेद (रचना, अर्थ के आधार पर) वाक्य रूपान्तर पर प्रश्न

शब्द युग्म पर प्रश्न

बोली, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा पर प्रश्न

मुहावरे/ लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग पर प्रश्न

काव्य बोध–

काव्य की परिभाषा – भेद, मुक्तक काव्य, प्रबन्ध काव्य

(महाकाव्य, खण्डकाव्य) पर प्रश्न

रस – परिभाषा, अंग, भेद और उदाहरण पर प्रश्न

अलंकार– वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति पर प्रश्न

छन्द– गीतिका, हरिगीतिका, उल्लाला, रोला पर प्रश्न

रस परिचय, अंग, रस भेद– उदाहरण सहित अलंकार

छंद, काव्य की परिभाषा एवं काव्य के भेद काव्य गुण

क्षेत्रीय बोली–पहेलियाँ,चुटकुले,लोकगीत, लोक कथाओं का परिचय तथा खड़ी बोली में उनका अनुवाद ।

म.प्र. से प्रकाशित होने वाली हिन्दी भाषा की पत्र पत्रिकाओं की जानकारी ।

अपठित बोध –

एक गद्यांश – शीर्षक सारांश एवं प्रश्न

एक पद्यांश – शीर्षक, सारांश एवं प्रश्न

(अधिकतम अंक–100) :–

तकनीकी एवं अतकनीकी पदों हेतु

सामान्य ज्ञान में वस्तुनिष्ठ प्रकार के मध्यप्रदेश राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य जानकारियों के अतिरिक्त गणित, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान विषय आधारित प्रश्नों के साथ जनरल एप्टीट्यूड, सामान्य बुद्धि गुणवत्ता के रीजनिंग संबंधी प्रश्न शामिल होंगे।

———0———

<u>अध्याय–4</u>
<u>प्रमाण–पत्रों के प्रारूप</u>

<u>प्रारूप–1</u>

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये स्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार, जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हों तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किसीएक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें :–

1. जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उप जिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अथवा जिलाध्यक्ष द्वारा अधिकृत अन्य कोई अधिकारी।

स्थाई प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये –

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग..जिला..मध्य प्रदेश

पुस्तक क्रमांक......................................प्रमाण पत्र क्रमांक...................................प्रकरण क्रमांक.................................स्थायी जाति प्रप्रमाण पत्र–नियम 8 (1)

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी..पिता/पति का नाम ....निवासी/ग्राम/नगर ....विकास खण्ड......................... तहसील.. ....जिला..................................संभाग...जाति/जनजाति का/की सदस्य हैं और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध मेंअनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया हैं और यह .... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक...............पर अंकित हैं, अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम ....अनुसूचित जाति/ जनजाति का/की हैं ।

2. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी..के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये.................................हैं।

दिनांक .... हस्ताक्षर

(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पदनाम

प्रारूप–2

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये

अस्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अर्न्तगत अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हो तथा उनके पास जाति संबंधी स्थाई प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किसी एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें:–

1. संबंधित (राजस्व) अधिकारी/तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायव तहसीलदार। अस्थाई प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये –

(अस्थायी प्रप्रमाण पत्र) नियम 8 (2)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग...जिला...मध्य प्रदेश
पुस्तक क्रमांक...................................प्रमाण पत्र क्रमांक.................................प्रकरण क्रमांक...............................

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पिता/पति का नाम ....निवासी/ग्राम/नगर ....वि.ख. ....तहसील.. जिला...................................... संभाग..जाति/जनजाति का/की सदस्य हैं और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया हैं और यह ....जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक...पर अंकित हैं, अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम .... अनुसूचित जाति/ जनजाति का/की हैं ।

2. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी..के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये...................................हैं।

दिनांक ....

हस्ताक्षर
(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेगा।

प्रारूप–3

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये
प्रस्तुत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

(स्थायी जाति प्रमाण पत्र) नियम 8(1)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग..जिला...मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक..................................प्रमाण पत्र क्रमांक..प्रकरण क्रमांक...

जाति प्रमाण पत्र

2. यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री / श्रीमती / कुमारी..पिता / पति का नाम ....निवास / ग्राम / नगर .... वि.ख..................तहसील..................................जिला... संभाग..मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो.. जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5 / पच्चीस / 4 / 84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया हैं।
श्री / श्रीमती / कुमारी ....पिता / पति का नाम ....
और / उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला ....संभाग.....................................में निवास करता हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री / श्रीमती / कुमारी..क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों / वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360 / 2 / 22 / 93 / स्था(एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.1993 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक–एफ–7–26 / 93 / 1 / आप्र. / दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ई' की अनुसूची के कालम (3) मे किया गया हैं
3. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी ....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये...हैं।

दिनांक ....

हस्ताक्षर
(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची।
प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया हैं जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास करता हैं।
जिलाध्यक्ष / अपर जिलाध्यक्ष / उप जिलाध्यक्ष / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) / जिलाध्यक्ष अथवा शासन द्वारा अन्य प्राधिकृत अधिकारी।

प्रारूप–4

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

(अस्थायी जाति प्रमाण पत्र) नियम 8(2)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग...जिला...मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक..............................प्रमाण पत्र क्रमांक...प्रकरण क्रमांक...

जाति प्रमाण पत्र

2. यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री / श्रीमती / कुमारी..पिता / पति का नाम ....निवास / ग्राम / नगर ....वि.ख...हसील... ....जिला.................................. संभाग..............................मध्य प्रदेश केनिवासी हैं, जो......................... जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचितजाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5 / पच्चीस / 4 / 84, दिनांक 26 दिसम्बर1984 द्वारा अधिमान्य किया गया हैं।

श्री / श्रीमती / कुमारी ....पिता / पति का नाम ....और / उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला ....संभाग में निवास करता हैं। यह प्रमाणितकिया जाता हैं कि श्री / श्रीमती / कुमारी..क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों / वर्गो कीश्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक360 / 2 / 22 / 93 / स्था(एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.1993 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में मध्य प्रदेश शासन, सामान्यप्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक–एफ–7–26 / 93 / 1 / आप्र. / दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ई'की अनुसूची के कालम (3) मे किया गया हैं

3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी ....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये..हैं।

दिनांक ....

हस्ताक्षर
(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची। प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया हैं जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास करता हैं।
संबंधित राजस्व अधिकारी / तहसीलदार / अतिरिक्त तहसीलदार / नायव तहसीलदार
यह प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेंगा।

नोट : वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता हैं तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा।

प्रारूप–5

(देखें नियम 2.9 एवं 2.10)

प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन

(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न–पत्र में निम्नलिखित प्रश्न/उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :–

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक/ उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर................................
आवेदक का नाम..................................

स्थान ....
दिनांक ....

प्रारूप–6
(देखें नियम 2.9 एवं 2.10)

आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन
(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
परीक्षा का दिनांक	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	
प्रश्न पत्र का कोड	
परीक्षा शिफ्ट	
परीक्षा का समय	
परीक्षा शहर का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक .... के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :–

स.क्र.	विषय	प्रश्न क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यार्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर..

आवेदक का नाम एवं पता.............................

....

....

दूरभाष क्रमांक..

दिनांक ....

Professional Examination Board
प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo

4” x 5” सेमी फोटो
यहाँ चिपकाये
4” x 5” cm photo paste here

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction)हस्ताक्षर / Signature)

- (i)अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, (ii) अँग्रेजी के कैपिटल अक्षरों e vFkok vxth d y/k gLrk{kj ekU; ugh gkx A (iii) एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- (i) Do your full signature within box-2, (ii)signature in capital letter or Short is not allowed(iii) more than 1 signature will be invalid

निर्देश / Instruction)फोटो / Photo)

- फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिए तथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photographandit should not old more than 3 months from application date

स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वाराआवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर परझूठीया पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसारसंतोषजनकनहींपाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारीरद्दकी जा सकती हैं।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the requirements, my candidature is liable to be cancelled.

स्व-घोषणा / Self-declaration

)ऊपर दिए गए घोषणा कोबॉक्स 3-के अंदरअपने लेखन में कॉपी करें/
Copy in your running hand writingin box-3, the declaration given above(

Box-3

ik:i&8

Hkqxrku ikIr djus ds fy;s Lo;a ds cSad [kkrs dk fooj.k

1. परीक्षा का नाम : ....
2. परीक्षा की तिथि/पॉली/समय : ....
3. परीक्षा केन्द्र का नाम : ....
4. परीक्षार्थी का नाम (हिन्दी में) : ....
   (जैसा बैंक खाते में है)
5. परीक्षार्थी का नाम (अंग्रेजी में) : ....
6. परीक्षार्थी का रोल न. : ....
7. बैंक का नाम : ....
8. बैंक शाखा का नाम : ....
9. बैंक का IFS Code : ....
10. बैंक खाता क्रमांक : ....
11. परीक्षार्थी का गृह जिला : ....
12. गृह जिले से परीक्षा केन्द्र की दूरी : ....
13. यात्रा का प्रकार : ....
14. यात्रा व्यय की राशि : ....

दिनांक.....................................

हस्ताक्षर

निवास का पूर्ण पता

....

....

सहमति प्रमाण–पत्र

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर की भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2016 के लिए तैयार की गई नियमपुस्तिका में उल्लेखित समस्त नियम व जानकारी की पुष्टि व सहमति प्रदान की जाती है तथा अध्याय–1 व 4 में दी गई समस्त जानकारी के संबंध में किसी भी विवाद आदि के लिए यह विभाग जवाबदेह होगा। तैयार नियमपुस्तिका के अनुसार परीक्षा आयोजन में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है तथा परीक्षा आयोजन के संबंध में विभाग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

तद्नुसार यह सहमति प्रमाण–पत्र सत्यापित/हस्ताक्षरित कर प्रदान किया जाता है।

भोपाल,

दिनांक :

सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम :...
पदनाम :...
सील :...

*****